न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 05/2020
अनुवान चन्द्रावली बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 29.09.2020

चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी उदासर बीदावतान तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादीगण–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री सांवरमल सारण वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि वादीनी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 230 तादादी 1.6900 हैक्टेयर रोही मौजा उदासर बीदावतान तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल दर्ज है जो अशुद्ध है। जबकि वादीनी का शुद्ध नाम चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादीनी का नाम चावलीदेवी दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात जमाबन्दी में वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल दर्ज कर दिया गया और उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम चावलीदेवी अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादीनी का शुद्ध नाम चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल है। वादगत कृषि भूमि में वादीनी का नाम अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि की वादीनी खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.16 16:35:28 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी का नाम मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक व अन्य दस्तावेजों में चद्रावली पत्नी बनवारीलाल अंकित है। वादीनी का नाम चावलीदेवी हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने की वादीनी कानूनन अधिकारी है। वादीनी का वास्तविक नाम चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल होने के कारण वादीनी को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीनी को करना पड़ता है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल के स्थान पर सही नाम चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल को दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीनी की ओर से प्रस्तुत किया है।

वादीनी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादीनी पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गयी तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादीनी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादीनी तहसीलदार सरदारशहर से मिली और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीनी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को पक्षकार वाद बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा डिक्री होने की सूरत में उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना है। इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार वाद बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही उदासर बीदावतान तहसील सरदारशहर में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है।

इस प्रकार वादीनी ने वाद पेश कर स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 230 तादादी 1.6900 हैक्टेयर रोही मौजा उदासर बीदावतान तहसील सरदारशहर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.16 16:35:28 IST
Reason: SelfAttested

बनवारीलाल अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम चन्द्रावली उर्फ चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज जाहिर नहीं किया है।

वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 230 की छायाप्रति।
2. भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
3. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीनी के नाम चन्द्रावली पत्नी बनवारीलाल अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादीनी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 230 तादादी 1.6900 हैक्टेयर रोही मौजा उदासर बीदावतान तहसील सरदारशहर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम चन्द्रावली उर्फ चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	उदासर बीदावतान	230	चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल	चन्द्रावली उर्फ चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.16 16:35:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 05/2020
अनुवान चन्द्रावली बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 29.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सांवरमल सारण एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादीनी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 230 तादादी 1.6900 हैक्टेयर रोही मौजा उदासर बीदावतान तहसील सरदारशहर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम चन्द्रावली उर्फ चावलीदेवी पत्नी बनवारीलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

.....

.....बीज.....मुबलि .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 09 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.16 16:35:28 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.10.16 16:35:28 IST
Reason: SelfAttested